

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष द्वारा बहस अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. समाहित की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किए गए कि प्रार्थीगण खालसा ग्रुप ऑफ डवलपर्स के सदस्य है तथा प्रार्थीगण ने श्री करतार सिंह पुत्र श्री आत्मा सिंह से चक 4 ए मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 1/2 की 0.196 हैक्टर, किला नम्बर 1/3 की 0.0260 हैक्टर किला नम्बर 2/1 की 0.228 हैक्टर किला नम्बर 2/2 की 0.0250 हैक्टर खाला, किला नम्बर 3/1 की 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 3/2 की 0.0250 हैक्टर खाला, किला नम्बर 4/1 की 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 4/2 की 0.0250 हैक्टर खाला, किला नम्बर 5/1 की 0.227 हैक्टर, किला नम्बर 5/2 की 0.0260 हैक्टर, किला नम्बर 6 ता 9 प्रत्येक 0.253 हैक्टर किला नम्बर 10/2 की 0.240 हैक्टर, किला नम्बर 11/2 की 0.2470 हैक्टर, किला नम्बर 12 ता 20 व 22 ता 25 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 6.022 हैक्टर जिसमें 5.895 गैरमुमकिन आवादी व 0.127 खाला दर्ज है। इस भूमि जो नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर के नाम अब अंकित है, प्रार्थीगण ने उक्त भूमि खालसा ग्रुप ऑफ डवलपर्स के नाम से एक कॉलोनी पार्क एवन्यू कॉलोनी के नाम से बनायी है। जो राजस्थान सरकार द्वारा आवासीय के रूप में परिवर्तित की गई है तथा वरिष्ठ नगर नियोजन बीकानेर द्वारा परिवर्तित होकर नक्शे स्वीकृत हो चुके है। नक्शे नगर विकास न्यास श्री गंगानगर में प्रस्तुत कर दिये गये है। इसके अनुसार नगर विकास न्यास से पट्टे भी जारी कर रही है। अप्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष एक वाद व स्थगन प्रार्थना पत्र अनवान सुरेन्द्र कौर बनाम गुरदेव सिंह आदि के नाम से पेश कर एकतरफार स्थगन आदेश दिनांक 23.09.2020 को श्री मान् न्यायालय से प्राप्त कर लिया है, जिसकी सूचना प्रार्थीगण को उक्त आदेश की प्रति जो दिनांक 25.09.2020 को प्राप्त हुआ है, से हुई है। अप्रार्थी को जानबूझकर नोटिस नहीं भेजा है एवं ना ही वाद व प्रार्थना पत्र की प्रतियां भेजी गई है। अप्रार्थी की ओर से अनवान सुरेन्द्र कौर बनाम गुरदेव सिंह आदि के नाम से वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें अप्रार्थीया ने जो विवादित भूमि चक 4 ए छोटी तहसील व किला श्री गंगानगर के खाता संख्या 135/117 के म नम्बर 6 के किला नम्बर 1 की 0.0060 हैक्टर, किला नम्बर 10/1 की 0.0130 हैक्टर किला नम्बर 11/1 की 0.0060 हैक्टर नहरी भूमि के सम्बन्ध में स्थगन आदेश प्राप्त किया है। जबकि प्रार्थीगण ने जो भूमि खरीद कर कॉलोनी पार्क एवन्यू बनायी है, उक्त अप्रार्थीया द्वारा अपने वाद में वर्णित भूमि से अलग है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीया द्वारा अपने वाद में वर्णित भूमि किसी प्रकार का निर्माण कार्य एवं नोक एव रिकार्ड की स्थिति में परिवर्तन नहीं किसी भी रूप में इस नक्शे में वर्णित भूमि के बाहर जाकर किसी प्रकार का कार्य नहीं कर रहे है। इसलिए उक्त माननीय न्यायालय द्वारा अनवान सुरेन्द्र कौर बनाम गुरदेव सिंह आदि के पारित एकतरफा स्थगन आदेश दिनांक 23.09.2020 प्रार्थीगण द्वारा खरीद की गई भूमि पर लागू नहीं होता है। अप्रार्थीया द्वारा जानबूझकर गलत तथ्य अंकित किये गये है। अप्रार्थी की भूमि में प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से ना तो कोई निर्माण कर रहा है आर ना ही प्रवेश कर रहे हैं। अप्रार्थीया की भूमि के चारदीवारी प्रार्थीगण ने बनायी है, इसलिए अप्रार्थी की भूमि प्रार्थी की भूमि के बाहर की तरफ है। इनके बीच में दीवार बनी

गुरदेव
किये जाने
प्रार्थना पत्र
10.2020
करण में
सम्बन्ध में
गई है।
अस्थायी
कीया को
न किये
दित कर
स्थगन
दित हो
अधिवक्ता
आदेश
आज ही
किया
र बनाम
। अतः
2020 को
अन्यथा
निर्णय

अप्रार्थीया

किया

अपक्ष

समाहित

प्रार्थना

को

Continuation Note Sheet

रहने से उसे अपूर्णिय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि पत्रावली में श्री मान् न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर दिनांक 23.09.20 को पारित एक पक्षीय स्थगन आदेश को संशोधित कर उसे प्रार्थीगण की समस्त कॉलोनी की भूमि के सम्बन्ध में तथा नगर विकास न्यास व इस कॉलोनी के सम्बन्ध में खरीददारों द्वारा बैंको में की जा रही कार्यवाही पर प्रभावी नहीं हो का संशोधित आदेश पारित किया जावे। अप्रार्थीया की भूमि जो प्रार्थीगण के स्वीकृत नक्शे की सीमा पर चारदीवारी बनी हुई है तथा अप्रार्थीया की भूमि चारदीवारी के बाहर है, पर स्थगन जारी रहे तो प्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

अधिवक्ता अप्रार्थीया द्वारा जवाब बहस के कथन किए कि अप्रार्थीया की किला नं. 1, 10 व 11 में अलग-अलग भूमि दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीया की जमीन को अपने में शामिल कर लिया है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के उपरान्त ऐसी कोई नई परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज नहीं की जा सकती। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबंदी सम्वत् 2073-2076 चक 4 ए छोटी खाता संख्या 135/117 के अवलोकन से यह साबित है कि अप्रार्थीया सुरेन्द्र कौर के नाम मु.नं. 6 के किला नं. 1/1 (0.0060), 10/1(0.0130) एवं 11/1 (0.0060) कुल 0.0250 हैक्. (नहरी) भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

चक 4 ए छोटी में खाता संख्या 144/1 में नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर के नाम 33.169 हैक्टर भूमि दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध पार्क एवेन्यू कॉलोनी के ले-आउट-प्लान की प्रतिलिपि से यह प्रकट होता है कि यह सहायक नगर नियोजन बीकानेर जोन एवम् नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर से स्वीकृत प्लान/नक्शा है। जिसके अनुसार चक 4 ए छोटी का कि.नं. 1 ता 20, 22 ता 25 में अप्रार्थीया सुरेन्द्र कौर के हिस्से को छोड़कर शेष भूमि कृषि भूमि न होकर नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर के नाम दर्ज आवासीय एवं वाणीजियक भूमि है। राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल कृषि भूमि तक सीमित है। दिनांक 23.09.2020 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा भी केवल अप्रार्थीया सुरेन्द्र कौर की कृषि भूमि (0.0250 हैक्टर) की हद तक लागू होती है।

इस न्यायालय द्वारा पार्क एवेन्यू कॉलोनी एवं नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर के नाम दर्ज अकृषि भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अतः दिनांक 23.09.2020 को जारी निषेधाज्ञा पार्क एवेन्यू कॉलोनी की अकृषि भूमि पर लागू नहीं होती है।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2020 को लिखवाया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष को बुलाकर सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर